निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 901) पटना, मंगलवार, 2 नवम्बर 2021

l0 15@vkS0&31&33@2018&1487¼15½@Lok0]

LokLF; foHkkx

संकल्प

22 अक्तूबर 2021

*fo"k;%& jlk;u ,o mojd e=ky;] vkS"kf/k foHkkx] jk"Vªh; vkS"k/k eY; fu/kkZj.k izkf/kdj.k] Hkkjr ljdkj ds funs'kkuqlkj jkT; Lrj ij funs'kky; vkS"kf/k fu;U=.k iz'kklu] LokLF; foHkkx] fcgkj] iVuk ds vUrxZr ^^fcgkj jkT; eY; vuqJo.k vkSj lalk/ku bdkbZ** ds xBu ,oa lkslkbZVh jftLVªs'ku ,DV&1860 ds Áko/kkuksa ds rgr lkslkbZVh ds :Ik esa iathd`r djkus dh Lohd`fr ds lca/k esaA*

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, औषधि विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक–16(11)/2016/Div.III/NPPA, दिनांक–03.06.2020, दिनांक–16.07.2020 का दिशा–निर्देश एवं पत्रांक–16(11)/2016/Div.III/NPPA, दिनांक–21.06.2021 के निदेशानुसार राज्य में मानकस्तरीय औषधियों की आपूर्त्ति, इसके मूल्य निर्धारण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के अंतर्गत एक सोसाईटी का गठन किया जाना है, जो वर्त्तमान में *^^fcgkj jkT; eY; vuqJo.k vkSj lalk/ku bdkbZ*** एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के निहित प्रावधानों के अंतर्गत निबंधित होने के फलस्वरूप*^^fcgkj jkT; eY; vuqJo.k ,oa lalk/ku bdkbZ lkslkbZVh*** के नाम से जाना जायेगा।

2. *lkslkbZVh ds xBu dk mÌs';A&*सोसाईटी के गठन का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण राज्य में सरकारी मानकों के अनुसार अधिसूचित मूल्य पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित चिकित्सीय उपकरण/दवाओं के मूल्यों का अनुश्रवण तथा बाजार स्तर पर मानकपूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए दवाओं के नमूनों का संग्रहण कराकर उसका जाँच कराना तथा दवाओं के संबंध में जनजागरूकता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन इत्यादि जैसे अनके कार्य शामिल है। साथ ही उक्त सोसाईटी राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर सौंपे गए औषध संबंधी अन्य कार्यों को भी क्रियान्वयित करायेगी।

3. बिहार राज्य मूल्य अनुश्रवण एवं संसाधन इकाई सोसाईटी द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णयों हेतु एक ^^'kklh fudk;** ¼**Governing Body**½ एवं इसके कार्यकलापों के संचालन हेतु एक ^^dk;Zdkfj.kh lfefr** ¼**Executive Body**½ निम्नरूपेण है :–

'kklh fudk; dk Lo:i %&

Øe la	inuke	fLFkfr
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण, भारत सरकार	सदस्य
4.	राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
5.	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	सहायक औषधि नियंत्रक, (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना	सदस्य
7.	अध्यक्ष, बिहार औषध विक्रेता संघ	सदस्य

dk;Zdkfj.kh lfefr dk Lo:i %&

Øe la	inuke	fLFkfr
1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	उपाध्यक्ष
3.	राज्य औषधि नियंत्रक, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार सरकार	सदस्य सचिव
4.	आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5.	उप औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना	सदस्य
6.	सहायक औषधि नियंत्रक (मुख्यालय), निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना	सदस्य

4. सोसाईटी के संचालन एवं इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से होगा।

5. *jlk;u ,oa moZjd ea=ky;] vkS"kf/k foHkkx] jk"Vªh; vkS"k/k eY; fu/kkZj.k izkf/kdj.k] Hkkjr ljdkj ds funs'kkuqlkj jkT; Lrj ij funs'kky; vkS"kf/k fu;a=.k iz'kklu] LokLF; foHkkx] fcgkj] iVuk ds vUrxZr ^^fcgkj jkT; eY; vuqJo.k vkSj lalk/ku bdkbZ** ds xBu ,oa lkslkbZVh jftLVªs'ku ,DV&1860 ds izko/kkuksa ds rgr lkslkbZVh ds :Ik esa iathd`r djkus dh Lohd`fr nh tkrh gSA*

vkns'k& vkns'k fn;k tkrk gS fd loZlk/kkj.k dh tkudkjh ds fy, bls fcgkj jkti= dh vlk/kkj.k vad esa izdkf'kr fd;k tk;A

vkns'k ls]
jke bZ'oj]
Lkjdkj ds l;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 901-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in